

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2157/2011/अलवर.

2. अपील संख्या – 2158/2011/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कागज प्रिंट एण्ड पैक (आई) प्रा० लि०, नीमराणा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 30/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 35/RVAT एवं 36/CST/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 22.03.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2010 को पारित किये गये थे। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम में 11 वर्ष की अवधि के लिये कुल 185.67 लाख का करमुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिये अधिकृत था एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006




लगातार.....2

के तहत वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् जारी उक्त अधिसूचना से देय कर को आस्थगित करने का लाभ प्राप्त करने का विकल्प लिया गया एवं दिनांक 01.04.2006 से आउटपुट टैक्स पर आस्थगन का लाभ प्राप्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश में डेफरमेंट के लाभ को प्रदान करने के लिये करदेयता की गणना करने के लिये नेट टैक्स पेयबल की परिभाषा के अनुसार आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को घटाने के पश्चात् शुद्ध देय कर को ही डेफर किये जाने का लाभ स्वीकार किया गया। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर (Tax Payable) को आस्थगित करने के लिये कुल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाकर आस्थगन की गणना कर अवशेष अधिक आस्थगित कर जमा किये जाने के आदेश कर निर्धारण में दिये गये। इसके अलावा अतिरिक्त कर जमा नहीं कराने से अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया एवं विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के अपराध में धारा 58 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी।


4. अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया कि बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर राशि को जमा कराने के लिये आस्थगन का लाभ देते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह गणना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी के द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी का टैक्स पेयबल से अभिप्राय उसके विक्रय पर प्राप्त होने वाले आउटपुट टैक्स की राशि से ही है अतः सम्पूर्ण आउटपुट टैक्स को आस्थगित किये जाने का निर्णय करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया एवं उसी क्रम में ब्याज को भी अपास्त किया गया। उक्त अपीलीय आदेशों के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिसम्मत हैं एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की है अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार टैक्स पेयबल का अर्थ वह टैक्स होगा जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की राशि को घटाने के पश्चात् प्राप्त होता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पूरे आउटपुट टैक्स पर आस्थगन का लाभ दिया जाना विधिसम्मत नहीं होने से इसे अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।



लगातार.....3

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
7. प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2010 को पारित किये गये थे जिनके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2011 को अपील स्वीकार कर ली गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम लागू होने से पूर्व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत जारी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया हुआ था। वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2005-171 दिनांक 31.03.2006 के जरिये करमुक्ति के लाभ को आस्थगन योजना में परिवर्तित किये जाने का विकल्प दिये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देय कर को डेफर करने का लाभ प्राप्त किया गया एवं दिनांक 01.04.2006 से डेफरमेंट का लाभ प्राप्त किया जा रहा था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आस्थगन का लाभ प्राप्त करने हेतु देय कर (Tax Payable) केवल वह राशि मानी गयी जो उनके विक्रय पर आउटपुट टैक्स के रूप में क्रेताओं से वसूल की जाती है अर्थात् उनके द्वारा जो विक्रय पर जो कर वसूल किया गया था उस पूरे कर को टैक्स पेयबल बताया गया जबकि किसी भी व्यवहारी द्वारा उस कर राशि को ही जमा कराये जाने का दायित्व होता है जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की राशि को घटाने के पश्चात् शुद्ध देय राशि होती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कथन था कि टैक्स पेयबल का अर्थ वेट अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार वह कर है जो विक्रय के समय कर वसूल किया जाता है वह राशि ही टैक्स पेयबल होती है एवं बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत जारी अधिसूचना में टैक्स पेयबल को डेफर करने का लाभ दिया गया है। अतः उनके द्वारा जो आउटपुट टैक्स की पूरी राशि को आस्थगित किये जाने हेतु गणना की गयी है वह विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के कथनों को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा टैक्स पेयबल की व्याख्या करते हुए यह निर्णय किया गया कि टैक्स पेयबल का अर्थ मात्र आउटपुट टैक्स है एवं वेट अधिनियम की धारा 17 में दिया गया नेट टैक्स पेयबल इस योजना के लिये लागू नहीं होकर केवल टैक्स पेयबल का अर्थ आउटपुट टैक्स ही होगा।
8. अपीलीय अधिकारी द्वारा टैक्स पेयबल की व्याख्या करते हुए जो आदेश दिया गया है वह आदेश दिनांक 22.03.2011 को किया गया था चूंकि टैक्स पेयबल सम्बन्धी प्रावधान का विवाद विभाग द्वारा कई प्रकरणों में किये जाने पर एवं उस सम्बन्ध में विभिन्न व्यवहारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में



लगातार.....4


अपील/रिवीजन प्रस्तुत किये गये थे तब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6903/2009 मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 10230/2009 मैसर्स उमा पोलिमर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2011 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि टैक्स पेयबल का अर्थ 'आउटपुट टैक्स - इनपुट टैक्स' होता है जो वेट अधिनियम की धारा 17 के तहत नेट टैक्स पेयबल के रूप में परिभाषित किया गया है वही टैक्स पेयबल होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में स्थापित विधि के सन्दर्भ में वर्णित पैरा 9 को अंशतः उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

"The contention of the learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after deducting input tax and letter "T" which defines net tax payable is  $O$  (output tax) +  $R$  (Reverse Tax) +  $P$  (tax payable under Section 4(2)) -  $I$  (input tax). Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per Section 17 of the Act."

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् Tax Payable सम्बन्धी व्याख्या पर किसी विवेचन की आवश्यकता नहीं रहती है अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.03.2010 पुनर्स्थापित किये जाते हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

  
3/11/12  
( के. एल. जैन )  
सदस्य